न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार, R.T.S.
मिसल नं. ::: 9/2021

सरकार बनाम महेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति–जाट, निवासी–डुलानिया

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 20.04.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल महेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति–जाट, निवासी–डुलानिया ने रोही मौजा डुलानिया की राजकीय भूमि ख.नं. 294 रकबा 1.90 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.08 है0 पर तारबन्दी कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 24 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 04 पर
वर्ष 2021-22 में रुपये 24 कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
तहसीलदार, सूरजगढ़